कार्यालय नगर पालिक निगम , रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक / 2751 / रा.वि. / नपानि / 2021 रायगढ़ दिनॉक 22.03.2021

।। आठवॉं ऑफर दर आमंत्रण सूचना ।।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम रायगढ़ स्वामित्व के स्टेशन रोड, एस. पी.कार्यालय के बगल में स्थित **न्यू काम्पलेक्स** के प्रथम एवं द्वितीय तल पर निर्मित दुकानों / हॉल को लीज पर दिये जाने हेतु यथा स्थिति में ऑफर दर आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति / संस्थान दिनांक 012-04-2021 ,समय 5:00 बजे तक अपना ऑफर दर पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट से बंद लिफाफा में निर्धारित अमानत राशि के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त ऑफर दिनांक 13-04-2021 को समय 4:00 बजे ऑफरदाताओं के समक्ष दर खोली जाएगी। ऑफर प्रपत्र कार्यालयीन समयावधि में इस कार्यालय से दिनांक 09-04-2021 तक शुल्क राशि रूपये 500.00 जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।

दुकानों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

प्रथम तल की दुकानें

क्र.	दुकान क्रमांक	आरक्षित वर्ग	साईज वर्गफीट	प्रीमियम राशि रू.	मासिक किराया राशि रू.
1	1	अनारक्षित	98.77	312660	1250
2	5	अ.जा.	106.09	335825	1345
3	7	अ.ज.जा.	106.09	335825	1345
4	12	अनारक्षित	98.77	312660	1250
5	17	अनारक्षित	98.77	312660	1250
6	20	अ.जा.	102.43	324240	1300
7	27	अ.जा.महिला	98.77	312660	1250
8	28	अ.ज.जा. महिला	98.77	312660	1250
9	32	अ.पि.वर्ग	98.77	312660	1250
10	34	तृतीय लिंग	98.77	312660	1250
11	39	अ.ज.जा.	113.41	358995	1440
12	44	अ.जा.	102.43	324240	1300
13	45	अ.जा.	102.43	324240	1300
14	59	अ.ज.जा.	98.77	312660	1250
15	61	अ.ज.जा.	89.63	283720	1135

द्वितीय तल की दुकानें

क्र.	दुकान क्रमांक	आरक्षित वर्ग	साईज वर्गफीट	प्रीमियम राशि रू.	मासिक किराया राशि रू.
22	7	अ.ज.जा.	98.77	239310	960
23	8	अनारक्षित	98.77	239310	960
24	9	अ.पि.वर्ग	98.77	239310	960
25	10	अ.जा.	142.67	345675	1385
26	11	अनारक्षित	98.77	239310	960
27	12	अ.ज.जा.	107.92	261480	1050
28	13	शि. बेरोजगार	89.63	217165	870
29	14	अनारक्षित	98.77	239310	960
30	15	स्व.सं.सेनानी	98.77	239310	960
31	16	शि. बेरोजगार	98.77	239310	960
32	17	अनारक्षित	98.77	239310	960
33	18	अनारक्षित महिला	98.77	239310	960

द्वितीय तल की दुकानें

क्र.	दुकान क्रमांक	आरक्षित वर्ग	साईज वर्गफीट	प्रीमियम राशि रू.	मासिक किराया राशि रू.
16	1	अनारक्षित	142.67	345675	1385
17	2	अ.जा.	98.77	239310	960
18	3	भू.सै.	107.92	261480	1050
19	4	शि. बेरोजगार	89.63	217165	870
20	5	अ.जा.	98.77	239310	960
21	6	अनारक्षित	98.77	239310	960

द्वितीय तल का हॉल

क्र.	हॉल क्रमांक	आरक्षित वर्ग	साईज वर्गफीट	प्रीमियम राशि रू.	मासिक किराया राशि
34	1	अनारक्षित	179.78	435590	1745
35	2	अनारक्षित	441.75	1070320	4280
36	3	अनारक्षित	656.03	1589490	6360
37	4	अनारक्षित	812.70	1969085	7880
38	5	अनारक्षित	1145.61	2775690	11105
39	6	अनारक्षित	179.78	435590	1745
40	7	अनारक्षित	441.75	1070320	4280
41	8	अनारक्षित	656.03	1589490	6360
42	9	अनारक्षित	812.70	1969085	7880

06
16/3/21

Scanned with CamScanner

नोटः–

1. नगर निगम द्वारा जारी ऑफर प्रपत्र ही स्वीकार किया जावेगा।
2. एक लिफाफा में एक ही ऑफर प्रपत्र तथा अमानत राशि का चेक ऑफर प्रपत्र लिफाफा के साथ प्रत्येक दुकानों के लिये 50,000.00 रु. (पचास हजार) निर्धारित अमानत राशि एवं हॉल के लिये निर्धारित प्रीमियम राशि का 10 प्रतिशत राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, आयुक्त नगर पालिक निगम,रायगढ़ के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा।
3. नगर पालिक निगम, रायगढ़ के बकायादारों का ऑफर दर स्वीकार नहीं होगा।
4. दुकानों की संख्या एवं क्रमांक में संशोधन किया जा सकता हैं।
5. किसी भी ऑफर को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार, आयुक्त नगर पालिक निगम, रायगढ़ के पास सुरक्षित होगा, इस हेतु कोई कारण नहीं बताया जावेगा।
6. अन्य नियम एवं शर्तें ऑफर प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी तथा कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं वेबसाईट www.nagarnigamraigarh.com पर अवलोकन एवं डाउनलोड की जा सकती है।

16.03.21

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/2751/रा.वि./नपानि/2021 रायगढ़ दिनॉक 22.03.2021

प्रतिलिपिः–

1. मान.महापौर/सभापति/नेता प्रतिपक्ष/राजस्व प्रभारी नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
3. कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. कार्यालय अधीक्षक/लेखापाल नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
5. सहा. जन संपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
6. कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
7. कार्यालय के वेब साईट में प्रकाशन हेतु।
8. संपादक .... को सूचनार्थ। उक्त ऑफर सूचना का प्रकाशन साईज .... में किया जाकर देयक समाचार पत्र की दो प्रतियों के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत करें ।

16.03.21

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

क्र. 2507/रा.वि./न.पा.नि./2021 रायगढ़ दिनॉक. 25/03/2021

।। न्यू काम्पलेक्स दुकानों की ऑफर हेतु नियम व शर्त।।

1. नगर निगम द्वारा जारी ऑफर प्रपत्र ही स्वीकार किये जावेगें।
2. एक लिफाफा में एक ही ऑफर प्रपत्र एवं एक ही अमानत राशि का डी.डी. संलग्न करना होगा।
3. ऑफर प्रपत्र में किसी प्रकार का शर्त उल्लेख करने पर ऑफर स्वीकार योग्य नही होगा।
4. ऑफर आमत्रण सूचना मे दर्शित निर्धारित अमानत राशि का बैंक ड्रापट या बैकर्स चेक संलग्न करना होगा अन्यथा ऑफर प्रथमतः निरस्त माना जावेगा।
5. आरक्षित वर्ग के दुकानों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
6. आरक्षित वर्ग की दुकानों के लिये पात्र व्यक्ति ही प्रमाण पत्र के साथ ऑफर दर प्रस्तुत कर सकते हैं अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत ऑफर स्वीकार नहीं होगा।
7. प्रथम एवं द्वितीय ऑफरदाता का अमानत राशि रोककर शेष ऑफरदाताओं का डी.डी. वापिस किया जावेगा।
8. नगर पालिक निगम, रायगढ कि आधिपत्य की दुकानें छ.ग. नगर पालिक निगम अचल संपत्ति का अंतरण नियम 1994 के प्रावधान अनुसार अतंरण की जायेगी।
9. उच्चतम ऑफरदाता को ऑफर दर स्वीकृति सूचना के 24 घंटे के भीतर उच्चतम ऑफर की 25 प्रतिशत् राशि जमा करना होगा, शेष 75 प्रतिशत् राशि को 30 दिवस के अन्दर जमा कर लीज अनुबंध करना अनिवार्य होगा' जमा अमानत राशि को अंतिम किश्त में समायोजन किया जावेगा। निर्धारित समयावधि में राशि जमा नही करने पर जमा राशि राजसात करते हुए आवंटन निरस्त कर दी जावेगी।
10. स्वीकृत प्रीमियम एवं किराया राशि में नियमानुसार शासन द्वारा निर्धारित जी.एस.टी. जमा करना होगा।
11. प्रथम उच्चतम ऑफरदाता द्वारा 25 प्रतिशत् राशि जमा करने के पश्चात् ही द्वितीय बोलीदार/ऑफरदाता की अमानत राशि वापिस की जावेगी।
12. प्रथम उच्चतम ऑफरदाता द्वारा सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर 25 प्रतिशत् राशि जमा न करने पर अमानत राशि राजसात करते हुए, द्वितीय ऑफरदाता की राशि स्वीकृत करते हुए राशि जमा करने हेतु सूचित किया जावेगा। द्वितीय ऑफरदाता द्वारा निर्धारित अवधि में राशि जमा न करने पर अमानत राशि राजसात करते हुए दुकान पुर्ननीलामी की कार्यवाही की जावेगी।
13. उच्चतम ऑफर स्वीकृति के पश्चात् लीज धारी स्वयं के व्यय से नियमानुसार निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करेगा तथा पंजियन खर्च वहन करेगा।
14. लीज धारी द्वारा किराये की राशि प्रत्येक 30 तारीख के भीतर जमा करेगा। अन्यथा 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज देना होगा।
15. लीज अवधी तीन वर्ष के होगा लीज अवधि समाप्ति के एक माह पूर्व लीज नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, तदउपरांत अगले तीन वर्ष के लिये विस्तार योग्य होगा तथा किराये में 15 प्रतिशत् तक वृद्धि कर लीज नवीनीकरण किया जा सकेगा।
16. दुकान यथा स्थिति में हस्तांतरित किया जावेगा दुकान में किसी प्रकार का निर्माण या अन्य व्यय हेतु निगम द्वारा किसी प्रकार का राशि देय नहीं होगा।
17. भवन की वार्षिक मरम्मत रंगाई, पोताई किरायेदार को स्वयं करना होगा, बिजली कनेक्शन एवं बिजली व्यय किरायेदार को स्वयं करना होगा।
18. आरक्षित दुकान किसी अन्य संवर्ग को हस्तांतरणीय नहीं होगा। ऐसा पाये जाने पर निगम आयुक्त को अधिकार होगा की आवंटन निरस्त कर दे।
19. दुकान में किसी प्रकार का स्वरूप में परिवर्तन आयुक्त के पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा।
20. लीज धारी को जिस तल में जिस साईज की दुकान आवटित की गई हो उतने में ही उसको किरायेदारी का हक होगा। उपर तल या नीचले तल में संबधित किरायेदार का दावा/अधिकार नहीं होगा।
21. लीज धारी के द्वारा निर्धारित समय पर किराया नहीं पटाने एवं लीज नवीनीकरण नहीं कराने पर दुकान से बेदखली की कार्यवाही की जा सकेगी।
22. उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर निगम आयुक्त बेदखली की कार्यवाही करने के लिये सक्षम होगा।
23. नगर पालिक निगम के बकायादार को ऑफर में भाग लेने का अधिकार नही होगा। यदि छदम रूप से ऑफर में भाग लेकर सफल हो जाता है, और आवंटन के पश्चात् जानकारी प्राप्त होती है,तो आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा।
24. किसी प्रकार का विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर निगम रायगढ़ का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

24.03.21

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with CamScanner